"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 259] रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 जून 2013—आषाढ़ 3, शक 1935

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2008/14-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ कृषि (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची-चार में, सरल क्रमांक 7 के कॉलम (6) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"एक पद अनुसंधान सहायक से तथा शेष एक पद सहायक सांख्यिकी अधिकारी से, यदि अनुसंधान सहायक उपलब्ध न हों तो पदोन्नति के सभी पद सहायक सांख्यिकी अधिकारी से भरे जा सकेंगे."

Raipur, the 24th June 2013

NOTIFICATION

No. F 1-1/2008/14-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Agricultural (Gazetted) Services Recruitment Rules, 2011, namely :—

AMENDMENT

In Scheduled to the said rules,—

In Schedule-IV, for the entries relating to column (6) of serial number 7, the following shall be substituted, namely :—

"One post from Research Assistant and remaining one post from Assistant Statistics Officer, if research Assistant is not available then all the promotion post may be filled up from Assistant Statistics Officer."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.